फर्द अहकाम

नन्दराम बनाम दिलीपराम उर्फ जगदीशसिंह

नाम न्यायालय : सहायक कलक्टर, बस्सी,

राजस्व वाद/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर : प्रार्थना पत्र 155/2023

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	03.10.2023	यह प्रार्थना पत्र वकील प्रार्थी श्री राजेश कुमार शर्मा ने मय शपथ पत्र पेश कर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया है जो दर्ज रजिस्टर होकर पेश हुआ। प्रार्थी को प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पर अंतरिम पर सुना गया। न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र एवं प्रार्थना पत्र पर प्रस्तुत दस्तावेजों का सावधानी पूर्वक अवलोकन करने एवं प्रार्थी द्वारा की गई बहस का ध्यानपूर्वक मनन किया गया तो हम पाते हैं कि प्रार्थी को एकपक्षीय स्थगन दिया जाना न्यायहित में उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः अप्रार्थीगण की तलबी जरिये रजिस्टर्ड नोटिस से करवायी जाकर पत्रावली दिनांक 19.10.2023 को पेश हो। सहायक कलक्टर बस्सी जिला जयपुर	
	19/10/23	पत्रावली पेश हुई। P.O.साहब दौरे/ अन्य कार्य में व्यस्त रहने के कारण कार्यवाही नहीं की जा सकी। पत्रावली दिनांक 7/12/23 को पेश हो।	
	7/12/23	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय द्वारा कन्डोलेन्स/ कार्य स्थगित करने के कारण कार्यवाही नहीं की जा सकी। पत्रावली दिनांक 18/01/24 को पेश हो।	
	18/1/24	पत्रावली पेश हुई। P.O.साहब दौरे/ अन्य कार्य में व्यस्त रहने के कारण कार्यवाही नहीं की जा सकी। पत्रावली दिनांक 29/2/24 को पेश हो।	
	29/2/24	पत्रावली पेश हुई। P.O.साहब दौरे/ अन्य कार्य में व्यस्त रहने के कारण कार्यवाही नहीं की जा सकी। पत्रावली दिनांक 16/4/24 को पेश हो।	
	16/4/24	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अनुपस्थित एवं प्रार्थी अधिवक्ता भी अनुपस्थित। न्यायालय समय में रुक-रुककर आवाजे लगवाई गई परन्तु ना तो प्रार्थी स्वयं	

फर्द अहकाम

बनाम

नाम न्यायालय : सहायक कलक्टर, बस्सी

राजस्व वाद/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर :

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		उपस्थित हुए, ना ही प्रार्थी की ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित हुए। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अदम हाजिरी अदम पैरवी में खारिज फरमाया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर)